

कार्यालय नगर पालिका परिषद् हरदा जिला-हरदा (म0प्र0)

Email-cmoharda@mpurban.gov.in

https://nagarpalikaharda.org

conn. 07577222238

Toll free No 18002331353

हरदा, दिनांक 27/5/26

क्रमांक 2775/लो.नि./2026

// ऑनलाईन निविदा सूचना //

नगर पालिका परिषद् हरदा द्वारा वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर निम्नानुसार निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन द्वारे आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट पर दिनांक 20/5/26 से 31/6/26 तक क्रय की जा सकती है। बिड समित 03/06/26 समय 5:30 तक। निविदा संशोधित होने की स्थिति में वेबसाईट पर ही देखा जा सकता है। विस्तृत निविदा सूचना आमंत्रण एवं अन्य जानकारी उक्त वेबसाईट पर देखी जा सकती है। निविदाओं में वित्तीय प्रस्ताव कार्य अनुबंध सेवाये पर लागू जी.एस.टी. को छोड़कर बुलाए जा रहे है। देयक प्रस्तुती के समय कार्य अनुबंध सेवाये पर लागू जी.एस.टी. का भुगतान पृथक से अनुबंधकर्ता को किया जाएगा।

क्र	एन.आई.टी.नं.	टेण्डर नं.	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर. का विवरण	अनुमानित राशि लगभग		अमानत राशि	निविदा फार्म मूल्य	कार्य अवधि
1	2	3	4	5	6	PAC -7	GST-8	8	9	10
1			जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत निकाय स्वामित्व के विभिन्न भवनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य।	न.पा. निधि	म.प्र.न.प्र.एवं विकास विभाग आई.एस.एस. आर. दिनांक 02.08.21 से प्रभावशील एवं अद्यतन संसोधन सहित	339494	61109	3935	2000	1 माह

- शर्तें :
- निविदा की वैधता खोले जाने की दिनांक से 120 दिन तक की होगी।
 - निविदादाता को लोक निर्माण विभाग में उचित श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति, वर्तमान आयकर चुकता प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. पेनकार्ड, शपथपत्र, एनेक्जर-एच, ई.पी.एफ.ओ रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करना होगा।
 - अमानत राशि ऑनलाईन भुगतान द्वारा/डेविड कार्ड, क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग या सिस्टम जनरेटेड चालान के माध्यम से जमा कराना होगा।
 - निर्माण कार्य प्राक्कलन ड्राइंग - डिजाईन एवं संबंधित अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में नगर पालिका लोक निर्माण शाखा से ली जा सकती है।
 - म.प्र. नगर पालिका लेखा एवं वित्त नियम 2018 का नियम 217(ख) अनुसार संविदाकारो से अनुबंध संपादन के समय तीन प्रतिशत निपादन राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य की जमा करायी जाना होगी।
 - ठेकेदार का ई.पी.एफ पंजीयन होना अनिवार्य है।
 - कार्य में जी.एस. टी. नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।
 - दरें 10% ISSR से कम प्राप्त होने पर अतिरिक्त परफारमेन्स गारन्टी जमा करानी होगी।
 - 7% सुरक्षा निधी प्रत्येक रनिंग देयक में से काटी जावेगी।
 - ठेकेदार को दी गई समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के प्रकरण में ठेकेदार देयक से किये गये कार्य के मूल के 10 % की कटौती की जायेगी।
 - पृथक-पृथक देयकों के पूर्व रॉयल्टी प्रस्तुत करना होगी।
 - अन्य शर्तें न.पा. के लोक निर्माण शाखा में कार्यालयीन समय पर देखी जा सकती है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, हरदा

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./रैन वॉटर/2026 33
प्रति,

नर्मदापुरम्, दिनांक - 15/5/26

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद् हरदा,
जिला - हरदा।

विषय:- जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत निकाय स्वामित्व के विभिन्न भवनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य की तकनीकी स्वीकृति।
संदर्भ:- Project Approval. PA-0318-26-0000000012 Project No. PW1-EN2-0318-26-2818 .

-----//-----

विषयान्तर्गत, प्रोजेक्ट अप्रूवल के द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत निकाय स्वामित्व के विभिन्न भवनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य के प्राक्कलन का परीक्षण किया गया। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व छतों का लेवल चेक किया जावे, जिससे निर्माण के उपरांत छतों पर पानी भराव तथा पाईप चोक होने की समस्या उत्पन्न न हों। निविदा लागत की सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जावे। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बंधित विभागों से अनापत्ति प्राप्त की जावे। निर्माण कार्य की स्ट्रक्चरल डिजाइन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से करवाने के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जावे। परीक्षण उपरान्त MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 238 के अनुसार तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

क्र	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील SOR का विवरण	राशि
1	जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत निकाय स्वामित्व के विभिन्न भवनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य।	न.पा.निधि/ अनुदान	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग, आई.एस.एस.आर. दिनांक 02.08.21 से प्रभावशील (जी.एस.टी. 18 प्रतिशत)	3,39,494.00
			कुल योग	61,109.00
				4,00,603.00

शर्तें-

- 1.मध्यप्रदेश नगरपालिका) लेखा एवं वित्त (नियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
- 2.तथ्यो को दृष्टपाकर निजी/अवैध कॉलोनी में निर्माण करने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृती स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी, जिमके लिए निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी पूर्णतः जवाबदार रहेंगे।
- 3.मध्यप्रदेश नगरपालिका) लेखा एवं वित्त (नियम 2018 के अनुरूप सक्षम स्वीकृती प्राप्त करना ,बयाना जमा , निष्पादन प्रतिभूति सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
- 4.निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में ही किया जावे, अन्य विभाग की भूमि होने पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी अनापत्ती अथवा हस्तारण की कार्यवाही की जावे। निर्माण के दौरान खुदाई में प्राप्त सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जावे एवं स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे।
- 5.भूमि विवाद की स्थिती में अथवा शासकीय विभाग द्वारा आपत्ती ली जाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
- 6.बडी परियोजना, एकमुश्त प्रोजेक्ट, समान स्वरूप के कार्य को विभाजित कर, पृथक-पृथक ली गई प्राप्त तकनीकी स्वीकृती स्वतः निरस्त मानी जावेगी तथा इस तरह के कार्य को प्रस्तावित करने के लिए निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
- 7.निर्माण कार्य के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी .स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी .स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 8.उक्त तकनीकी स्वीकृति मूल कार्य के लिए प्रदाय की जा रही है, रिवाईस्ड/सप्लीमेन्ट्री कार्यों के लिए नहीं। तथ्यो को छुपाने पर प्राप्त स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।
- 9.सी.पी.डब्ल्यू .डी .स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी .स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे। निर्माण कार्यों मे प्रयुक्त निर्माण सामग्री/कॉक्रीट आदि का मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से निर्धारित आवृत्ति अनुसार परिक्षण कराया जावे। संतोषजनक परिक्षण परिणाम प्राप्त होन पर चलदेयको के भुगतान की कार्यवाही की जावे।
- 10.मध्यप्रदेश नगरपालिका) लेखा एवं वित्त (नियम 2018 के अनुरूप सक्षम स्वीकृती प्राप्त करना ,बयाना जमा , निष्पादन प्रतिभूति सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
- 11.सीमेन्ट, कॉक्रीट एवं आर.सी.सी .नाली निर्माण में स्टील सेन्ट्रिंग का उपयोग किया जावे। कॉक्रीट मिक्सिंग के लिए मिक्सर मशीन तथा वाईब्रेटर का उपयोग अनिवार्यतः किया जावे।
- 12.निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में ही किया जावे किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिती मे मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिम्मेदार होंगे , तथा प्राप्त तकनीकी स्वीकृती स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
- 13.आर.सी.सी .नाली/नाला की स्ट्रक्चरल तथा मिक्स डिजाइन का परिक्षण शासकीय पालिटेक्निक/इंजीनियरिंग कॉलेज से कराया जाकर उसका अनुमोदन अधोहस्ताक्षरकर्ता से कराया जावे। अनुमोदित डिजाइन अनुसार कार्य कराए जाने पर कार्य की लागत मे परिवर्तन की स्वीकृती प्राप्त करने का दायित्व निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का रहेगा।

14. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र .F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016, के अनुसार राशि रु .1.00 लाख अथवा उससे अधिक के कराये जाने वाले कार्यों के लिये ई-टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम से आहूत की जाना सुनिश्चित करें।
 15. कार्य के प्राक्कलन के आयटम में परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी के किये जाने पर परिवर्तनकर्ता निकाय तकनीकी अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी पर दायित्व निर्धारण होगा। निर्माण कार्य के दौरान किसी पूरक कार्य/परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो लिखित पूर्व सूचना म0प्र0न0पा0ले0नि0 1961 नियम के प्रावधानिक प्रारूप में इस कार्यालय को देना होगी। अन्यथा पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाना संभव नहीं होगा।
 16. निःशक्त जनों के लिए बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। पैदल यात्रियों की सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात हेतु रोड सेप्टी फीचर्स जैसे रोड साइनेज, टर्निंग प्वाइन्ट आदि लगाये जावे।
 17. नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग के नियमानुसार आवश्यक स्थल अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जावे। नजूल एवं अन्य विभागों से आवश्यक एन.ओ.सी./सहमति भी प्राप्त की जावे।
 18. निर्माण कार्य की लागत राशि रु .25.00 लाख से अधिक होने पर स्थल प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेन्सी से कराई जाकर टेस्टेड मटेरियल ही उपयोग में लाया जावे।
 19. निविदा सूचना में प्रावधान किया जाये कि निविदाकार को ई.पी.एफ. एवं लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।
 20. उपरोक्त शर्तों की पूर्ति की जिम्मेदारी निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी।
 21. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 237 के प्रावधान अनुसार सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावे।
 22. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 217 के अनुसार अर्नेस्ट मनी एवं प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य की जमा कराई जावे।
 23. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 91, 92 एवं 93 के प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी।
 24. निर्माण कार्य की सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावे।
 25. निर्माण कार्य निजी/अवैध कॉलोनी में नहीं किया जावेगा, यदि कार्य सम्पादित किया जाता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा एवं दी गयी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
 26. कार्य टुकड़ों में/विभाजित होने की स्थिति में इसका दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा तथा उक्त स्थिति में प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
 27. ऐसे निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति जो निविदा आमंत्रण के पश्चात् प्राप्त की जाती है वह स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
 28. निर्माण कार्य स्वयं के स्वामित्व/अधिपत्य की भूमि में किया जावे, निजी भूमि एवं अवैध कालोनी में निर्माण कार्य किये जाने अथवा तथ्यों को छुपाये जाने की दशा में जारी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अन्य किसी विभाग की भूमि होने पर संबंधित विभाग की एन.ओ.सी. अथवा भूमि स्थानान्तरण करवाये जाने के पश्चात प्रश्नाधिन कार्य काराया जावे। शर्तों का पालन नहीं करने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा। स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
 29. निकाय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का अंतिम मूल्यांकन करवाये बिना नवीन कार्य लिये जाने की दशा में अथवा निर्धारित डिजाईन औसत अवधि पूर्ण हुए बिना यदि पुनः नवीन/रिन्यूवल कार्य के रूप में कार्य लिए जाने पर किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति होने पर समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
 30. निविदा आमंत्रण के पूर्व सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।
 31. निविदा आमंत्रण पूर्व NON SOR ITEM का अनुमोदन विस्तृत Rate Analysis प्रस्तुत कर संभागीय कार्यालय से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करे।
- संलग्न- उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन यंत्री

नगरीय प्रशासन एवं विकास
नर्मदापुरम् संभाग नर्मदापुरम्

Project Estimate

Project Details

Estimation Number: ES-0318-26-0000000008	Work: Rain Water Harvesting In Various Building Under Jalganga Samvardhan Abhiyan
ULB: 0318 (Harda Nagar Palika)	Demand ID: DM-0318-26-0000000008
Department: Public Works	PAC: 339494.42
Project No.: PW1-EN2-0318-26-2818	Gross: 400603.42

Activity / SOR / NON SOR and WBS Details

WBS NO	SOR ITEM	Description	Cou nts	Nos	Leng th	Brea dth	Dept h	Volu me	Are a	Wei ght	Quant ity	Unit	Price/U nit	Amount Before GST	GST %	Total Amount	Remar ks
1	NII-2.6.1	ALL KINDS OF SOIL		15.0	1.5	1.5	1.8	4.05			60.75	M3	151.0	9,173.25	18.0	10,824.43	
1	VII-2021-4.1.6	Cement concretegradeM-10(NominalMix)with40mmmaximum size of stone aggregate		30.0	1.5	0.2	0.1	0.03			0.9	M3	4112.0	3,700.80	18.0	4,366.94	
1	VII-2021-4.1.6			30.0	1.5	0.2	0.1	0.03			0.9	M3	4112.0	3,700.80	18.0	4,366.94	
1	VII-2021-4.1.6			30.0	5.0	0.1	0.1	0.05			1.5	M3	4112.0	6,168.00	18.0	7,278.24	
1	NII-6.8	BRICK WORK WILL WELL BURNT OPEN BHATTA BRICKS CRUSHING STRENGTH NOT LESS THAN 25KG/CM ² AND WATER ABSOPTION NOT MORE THAN		30.0	1.5	0.2	1.8	0.54			16.2	M3	3868.0	62,661.60	18.0	73,940.69	
1	NII-6.8			30.0	1.5	0.2	1.8	0.54			16.2	M3	3868.0	62,661.60	18.0	73,940.69	
1	NII-6.9	BRICK WORK WILL WELL BURNT OPEN BHATTA BRICKS CRUSHING STRENGTH NOT LESS THAN 25KG/CM ² AND WATER ABSOPTION NOT MORE THAN		15.0	40.0	0.1	0.1	0.4			6.0	M3	4155.0	24,930.00	18.0	29,417.40	
1	NII-13.2.2	1:6 (1 CEMENT: 6 SAND)		15.0	40.0	0.3			12.0		180.0	M2	159.0	28,620.00	18.0	33,771.60	
1	NII-13.2.2			30.0	1.5	1.8			2.7		81.0	M2	159.0	12,879.00	18.0	15,197.22	
1	NII-13.2.2			30.0	1.5	1.8			2.7		81.0	M2	159.0	12,879.00	18.0	15,197.22	
1	NII-20.7	BRICK BATS		15.0	1.5	1.5	0.9	2.025			30.375	M3	948.0	28,795.50	18.0	33,978.69	
1	NII-20.6.2	GRAVEL/PEBBLES (5 TO 25 MM)		15.0	1.5	1.5	0.45	1.012			15.18	M3	1331.0	20,204.58	18.0	23,841.40	
1	NII-20.6.1	COURSE SAND (1.5 MM TO 2.00 MM)		15.0	1.5	1.5	0.45	1.012			15.18	M3	1585.0	24,060.30	18.0	28,391.15	
1	NII-22.10.1	110 MM DIAMETER OD		15.0	12.0						180.0	M	217.0	39,060.00	18.0	46,090.80	

WBS Summary

WBS NO	WBS Text	Amount
--------	----------	--------

WBS NO	WBS Text	Amount
1	Rain Water Harvesting In Various Building Under Jalganga Samvardhan Abhiyan	339,494.43
Total PAC		339494.42

GST: 61109.0
Gross: 400603.42

Project Estimate

Project Details

Estimation Number: ES-0318-26-0000000008	Work: Rain Water Harvesting In Various Building Under Jalganga Samvardhan Abhiyan
ULB: 0318 (Harda Nagar Palika)	Demand ID: DM-0318-26-0000000008
Department: Public Works	PAC: 339494.42
Project No.: PW1-EN2-0318-26-2818	Gross: 400603.42

Sub Engineer E-sign

CMO E-sign

AE E-sign

SE Superintendent E-sign

Sub Engineer Division E-sign

AE Division E-sign

EE E-sign